रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-31102026-277561
SG-DL-E-31102026-277561

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29]	दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 30, 2026/कार्तिक 8, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 273
No. 29]	DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30, 2026/KARTIKA 8, 1948	[N. C. T. D. No. 273

भाग II—I
PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2026

सं. मु0चु0अ0 / चु0सं0 / 102(21)/2023/267.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2026

सं. 23 / 2026–ईआरएस (खं. II).—जबकि, निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र संख्या 23 / 2025–ईआरएस (खं.।।) दिनांक 14 / 05 / 2026 के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सहित 19 राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की थी।

जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में, मसौदा मतदाता सूची दिनांक 31/08/2026 को प्रकाशित की गयी थी और दावे एवं आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि दिनांक 31/08/2026 से दिनांक 30/10/2026 तक निर्धारित की गयी थी तथा दावों एवं आपत्तियों के निपटारे की समय सीमा दिनांक 30/11/2026 तक निर्धारित की गयी थी, और

जबकि निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के अनुरोध पर तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960, के नियम 12 के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में दिनांक 01/10/2026 को अर्हक तिथि मानकर निर्वाचक नामावालियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि दिनांक 25/11/2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

आदेश से,

पवन दीवान, सचिव

आदेश से

टी. मिसाओ, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 30th October, 2026

No CEO/COE/102(21)/2023/267.—The following is published for general information:—

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2026

No. 23/2026-ERS (Vol. II).— Whereas, the Commission, vide its letter no 23/2025-ERS (Vol.II) dated 14.05.2026, had announced Special Intensive Revision in 19 States/UTs including **NCT of Delhi.**

Whereas, in **NCT of Delhi**, the draft roll was published on 31.08.2026 and the period of filing claims and objections was fixed from 31.08.2026 to 30.10.2026 and disposal of claims & objections was fixed upto 30.11.2026; and

Whereas the Commission on the request of **Chief Electoral Officer, Delhi** and in exercise of the power conferred by proviso to Rule 12 of the Registration of Electors Rules, 1960, has decided to extend the period for filing of claims and objections up to **25.11.2026** for ongoing Special Intensive Revision of electoral rolls with reference to 01.10.2026 as the qualifying date in the state of **NCT of Delhi.**

By Order,

PAWAN DIWAN, Secy.

By Order

T. MISAO, Dy. Chief Electoral Officer, Delhi

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA